

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 566 - अ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 नवम्बर 2020 — कार्तिक 11, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-14/2019/सात-4. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. - 20, सन् 1959) की धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र (असर्वोक्षित ग्राम) में राजस्व सर्वेक्षण संक्रियाएं प्रारम्भ करने की घोषणा करती है. यह क्षेत्र अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा, जब तक कि ऐसी संक्रियाओं के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाये, अर्थात् :-

अनुसूची

जिले का नाम	तहसील का नाम	राजस्व निरीक्षक मण्डल का नाम	स. क्र.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नंबर	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
धमतरी	कुरुद	भठेली	1	हंचलपुर	-	अत्यधिक बंदोबस्त त्रुटि होने के कारण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 2nd November 2020

NOTIFICATION

No. F 11-14/2019/seven-4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, is pleased to declare initiation of the revenue survey operations in the area specified (un-surveyed village) in the schedule as given below. This area shall be held to be under such survey from the date of notification untill the issue of a notification declaring the operation to be closed, namely :-

SCHEDULE

Name of District	Name of Tehsil	R. I. Circle Name	S. No.	Name of the Village	Patwari Halka No.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dhamtari	Kurud	Bhatheli	1	Hanchalpur	-	Due to excessive Settlement error

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. D. DIWAN, Joint Secretary.